UPKR010018952026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज।

पीठासीन अधिकारी– रामेश्वर, (एच0जे0एस0)

JO Code No-UP6537

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–832/2026

ब्रजेश कुमार शर्मा पुत्र श्रीकृष्ण शर्मा निवासी बहादुरपुर थाना ढोलना जनपद कासगंज।

बनाम

1–उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद कासगंज।

2–कु0 पारूल शर्मा पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम इतवारपुर थाना सहावर जनपद कासगंज।

अपराध संख्या–103/2025
धारा–69, 352,351(3) बी0एन0एस0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–सहावर, जिला–कासगंज।

02.06.2026

1– प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थन पत्र आवेदक/अभियुक्त ब्रजेश कुमार शर्मा की ओर से अपराध संख्या–103/2025, धारा–69, 352,351(3) बी0एन0एस0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–सहावर, जिला–कासगंज के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता 'दाण्डिक' को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा कु0 पारूल शर्मा द्वारा सम्बन्धित थाने पर एक तहरीर इस आशय की दी गयी कि वह ग्राम इतवारपुर थाना सहावर जनपद कासगंज की निवासी है। उसका प्रेम प्रसंग पिछले पांच वर्षों से ब्रजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना ढोलना जनपद कासगंज से रहा है, जो उसकी बुआ का लड़का है। उन दोनों के प्रेम के बारे में जब उन दोनों के परिवार वालों को पता चला तो घर वाले उन दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। पिछले पाँच वर्षों से बृजेश कुमार उसके घर व अपने घर में उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता चला आ रहा है। पिताजी इतने धनवान व्यक्ति नहीं है

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.06.02 16:22:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

15 लाख रूपया दहेज मे दे सके। इसलिए ब्रजेश कुमार शर्मा ने व उसके परिवारी जनो ने 20 लाख रूपये नकद दहेज मे तय करके अपनी शादी अन्य जगह से सुनिश्चित कर ली है और 28 फरवरी 2025 को अपनी बारात ले जा रहे है। ब्रजेश कुमार शर्मा द्वारा बास्तविक बैवाहिक/शारिरिक सम्बन्ध उसके साथ रखने के बाद दहेज के पीछे उससे विवाह न करना उसके साथ धोखा व अन्याय है। उसके पिता उक्त मामले की बात करने दिनांक 07.02.25 को ब्रजेश कुमार शर्मा के घर गए तो बृजेश व उसके घर वालो ने उसके पिता जी के साथ गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वे शादी नहीं करेंगे, तुम्हे जो करना हो कर लो उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

4— आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त उसको उपरोक्त अपराध में वादिनी द्वारा वसाज पुलिस थाना सहावर कतई झूँठा व निरपराध फंसा दिया है। उसने उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मुकद्दमा अथवा अन्य किसी मुकद्दमें में जेल में निरूद्ध नहीं है। उसके द्वारा कथित घटना से सम्बन्धित कारित अपराध धारा—482(4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत वर्णित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। पुलिस लगातार दविश देकर उसको गिरफ्तार कर प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार किये जाने की पूर्ण आशंका बनी हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो घटना दर्शायी है वह कतई मिथ्या व बनावटी है। प्रार्थीध्आवेदक को तथाकथित घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी /आवेदक को महज तंग व परेशान करने की नियत से उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। वादी मुकद्दमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई दिनांक, समय, माह व स्थान अंकित नहीं किया गया है। वास्तविक बात यह है कि आवेदक/अभियुक्त की माँ श्रीमती अनीता देवी का अपने छोटे भाई को लेकर आवेदक/अभियुक्त के नाना/मामा से काफी समय से मनमुटाव चल रहा है जिस कारण आवेदक/अभियुक्त की माँ श्रीमती अनीता देवी के बडे भाई ने अपनी पुत्री द्वारा दबाब बनाने के उद्देश्य से झूंठा मुकद्दमा पंजीकृत कराया गया है। चूंकि आवेदक/अभियुक्त की माँ श्रीमती अनीता देवी के उपरोक्त मायके वाले आवेदक/अभियुक्त के पिता की प्रोपर्टी को हड़पना चाहते हैं जिस कारण आवेदक/अभियुक्त की माँ श्रीमती अनीता देवी ने लगभग 10 वर्ष पूर्व से ही सम्बन्ध खत्म कर लिये थे और दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहां आना जाना बन्द हो गया था। आवेदक/अभियुक्त को तथाकथित घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं है। आवेदक/

अभियुक्त ने किसी प्रकार की गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी है और न ही शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ किसी प्रकार का कोई गलत कार्य किया है। दर्शायी गयी शादी की बातचीत व अतिरिक्त दहेज की मांग कतई झूंठी व बनावटी है। चूंकि आवेदक/अभियुक्त का अपनी ननिहाल में काफी लम्बे अर्से से मनमुटाव होने के कारण आना जाना नहीं रहा है जिस कारण कथित घटना कारित किया जाना सम्भव ही नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। बकौल प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी द्वारा कहा गया है कि पांच साल से उसक प्रेसंग आवेदक/अभियुक्त के साथ था और बाद में घर वालों को पता चलने पर शादी के लिए राजी हो गये, जबकि स्वयं वादिनी मेडीकल के समय डाक्टर को दिये गये बयान में यह बताती है कि पांच साल पहले उसके फूफा श्रीकृष्ण शर्मा अपने बेटे ब्रजेश शर्मा का रिश्ता लेकर उसके घर आये थे। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादिनी के बयान धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० व डाक्टर के समक्ष दिये गये बयानों में भारी विरोधाभाष है, जिससे घटना अपने आप में ही संदिग्ध व बनावटी प्रतीत होती है। मेडीकल रिपोर्ट भी घटना का समर्थन नहीं करती है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा वास्तव में तथाकथित घटना से सम्बन्धित कोई भी घटना कारित नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त उक्त कथित केस में पूरी तरह से निर्दोष एवं बेकसूर है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक असत्य व मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Sidharth Varadarajan V/s State of Utter Pradesh Anticipatory Bail App. No. 2778 of 2020 आदेश दिनांक–15.05.2020 में यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत व नियमित जमानत एक ही श्रेणी में आती है तथा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात भी अग्रिम जमानत दौरान विचारण सशर्त प्रदान की जा सकती है। एल.एल. 2021 एस०सी० 391 क्रिमिनल अपील संख्या 838 सन् 2021 सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा क्रिमिनल अपील संख्या 929 सन् 2021 अमन प्रीत सिंह बनाम् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा डायरेक्टर में विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो आरोप पत्र आने के उपरान्त न्यायालय की संस्तुति व शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत प्रदान की जा सकती है। आवेदक/अभियुक्त शान्तिप्रिय एवं कानून को मानने वाला व्यक्ति है तथा अच्छे परिवार से सम्बन्ध रखता है। आवेदक/अभियुक्त उक्त पते का मूल निवासी है तथा न्यायिक प्रक्रिया से बचकर भागने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त इस बात की अण्डरटेकिंग देने को तैयार है कि जब भी न्यायालय डस्को बुलायेगा, आवेदक/अभियुक्त नियत दिनांकों पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा तथा विचारण में पूर्ण

सहयोग करेगा तथा विचारण के समय किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय में इस बात की अण्डरटेकिंग देने को तैयार है कि वह किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा प्रलोभन देकर अथवा धमकी देकर अथवा किसी को गलत तथ्यों के आधार पर अथवा किसी को असत्य बचन देकर अथवा किसी भी व्यक्ति को जिसको मुकद्दमों से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी हो उसे प्रभावित नहीं करेगा तथा किसी भी तरीके से साक्ष्य अथवा साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा और न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगा। उस पर न्यायालय द्वारा जमानत के दौरान जो भी शर्ते अधिरोपित की जाती है उनको मानने के लिए आवेदक/अभियुक्त स्वीकार करेगा। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकद्दमा के अलावा अन्य कोई मुकद्दमा पंजीकृत नहीं है और न ही पूर्व सजायाफ्ता है। उक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आशंका दर्शाते हुये, दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये और बाद में दहेज न मिलने के कारण शादी से मना कर दिया। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पाने योग्य नहीं है।

6— इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पी. चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय किमि. अपील नंम्बर 1340/2019 निर्णीत दिनांक 09.09.2019 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

7— इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. आंफ देहली) एवं अन्य, ए. आई. आर ऑन लाइन 2020 एस. सी. पृष्ठ 74 में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषिसिद्ध आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुँचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा 34 व धारा 149 भा०द०सं० की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण

से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

8– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा उसके विरूद्ध वादी मुकदमा के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने और दहेज न मिलने के कारण शादी से मना कर दिये जाने गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दिये जाने अभियोग हैं। आवेदक/अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, जिसमें दस वर्ष तक के कारावास का दण्ड प्राविधानित है। इसके अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त कोई भी ऐसा ठोस आधार दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे उसकी प्रश्नगत मामले में संलिप्तता आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होती हो। इसके अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है जिस कारण उसके विरूद्ध अवर न्यायालय की पत्रावली में सम्मन जारी है। आवेदक/अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति एवं सम्बन्धित अवर न्यायालय में उपस्थित न होने के आधारों को देखते हुये अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बृजेश कुमार शर्मा द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

स्टेनो रामेश्वर दयाल

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज
02.06.2026